


राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(9)न्याय/2019

जयपुर दिनांक: 23.11.2022


—:आज्ञा:—

श्री राजेश आचार्य, विधि रचना अधिकारी को न्यायालय प्रकरणों शो-कॉज नोटिस तथा प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के कार्य से कार्यमुक्त किया जाकर विधि रचना संगठन में आवंटित कार्य एवं श्री निकुंज दीक्षित, वरिष्ठ विधि रचनाकार न्यायालय प्रकरणों शो-कॉज नोटिस तथा प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के कार्य से कार्यमुक्त किया जाकर विधि रचना संगठन में विधायी प्रारूपण से संबंधित कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

आज्ञा से,  
  
23.11.22  
(प्रवीर मटनागर)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव करना सुनिश्चित करें।
3. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव